थाना भेलूपुर कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 19.07.2021

पुजारी की हत्या का प्रयास करने वाले अभियुक्तगणों को थाना भेलूपुर द्वारा घटना के 12 घण्टे के अन्दर मय घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

दिनांक-19.07.2021 को थाना भेलूपुर पुलिस द्वारा ट्रामा सेन्टर बी.एच.यू. से मुकदमा अपराध संख्या 0352/2021 धारा 307/323/504/506 भादवि व बढोत्तरी धारा 34 भादवि व 27/30 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. अतर सिंह पुत्र भार्गव सिंह निवासी –B 23/45-3 खोजवा बाजार थाना भेलूपुर वाराणसी , 2. राज बहादुर सिंह पुत्र भार्गव सिंह निवासी B 23/45-3 खोजवा बाजार थाना भेलूपुर वाराणसी को दिनांक 19.07.2021 को बी.एच.यू. ट्रामा सेन्टर से समय करीब 12.00 बजे दिन गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त के सम्बन्ध में भेलूपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी का दिनांक, समय व स्थानः – दिनांक 19.07.2021 को ट्रामा सेन्टर बी.एच.यू. समय करीब 12.00 बजे दिन।

नाम व पता अभियुक्तगणः-

1- अतर सिंह पुत्र भार्गव सिंह निवासी –B 23/45-3 खोजवा बाजार थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 46 वर्ष
2- राजबहादुर सिंह पुत्र भार्गव सिंह निवासी B 23/45-3 खोजवा बाजार थाना भेलूपुर वाराणसी उम्र करीब 44 वर्ष

पूछतांछ अभियुक्तः-

अभि0 अतर सिंह पुत्र भार्गव सिंह निवासी B 23/45-3 खोजवा बाजार थाना भेलूपुर जनपद वाराणसी उम्र करीब 46 वर्ष ने जुर्म स्वीकार करते हुए बयान किया कि मेरे व रमाकान्त पाठक के मध्य मंदिर की जमीन को लेकर के कई वर्षो से विवाद था कल दिनांक 18.07.2021 को रात्रि को करीब 8.00 बजे जब रमाकान्त पाठक व उसका मित्र अभिषेक पाण्डेय मंदिर में पूजा करने के लिए आये थे उसी समय मेरा भाई राज बहादुर सिंह ने मुझसे कहा कि चलिए अच्छा समय है वह दोनों मंदिर पर मौजूद है तथा आज लॉकडाउन होने के कारण भीड़ – भाड भी नहीं है इन दोनों को सबक सिखाने का अच्छा मौका है इस पर हम दोनों भाई उनको सबक सिखाने के लिए अपने लाईसेन्सी पिस्टल (लाइसेन्स नं0 330310010834142015) के साथ मंदिर पर पहुँचे और दोनों के साथ पिस्टल दिखाते हुए मारपीट करने लगे। जिसमें रमाकान्त पाठक तो थोडी देर के लिये हट गया था तो हम लोग अभिषेक पाण्डेय मारने पीटने लगे तभी मेरे भाई राजबहादुर सिंह ने कहा कि इसको यहीं मार देते है तब मैने हाँथ में जो लाइसेन्सी पिस्टल ली हुई थी उसी से अभिषेक पाण्डेय को गोली मार दी। इतने में वहाँ भीड बढ़ गयी थी तो मैने अपनी पिस्टल वहीं किनारे जहाँ ईंट रखा था वहीं धीरे से गिरा दिया था जो गलती हो गयी मुझे मांफ कर दिया जाय।

अपराधिक इतिहासः-अभियुक्त अतर सिंहः-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	0352/2021	307/323/504/506 भादवि व 34 भादवि व 27/30 आर्म्स एक्ट	भेलूपुर

अपराधिक इतिहासः-अभियुक्त राज बहादुर सिंहः-

क्र.सं.	मु0अ0सं0	धारा	थाना
1	0352/2021	307/323/504/506 भादवि व 34 भादवि	भेलूपुर

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद पिस्टल .32 बोर , लाइसेन्स नम्बर -330310010834142015

2- 2 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक, रमाकान्त दूबे, थाना प्रभारी भेलूपुर कमिश्नरेट- वाराणसी।
2. श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय (निरीक्षक अपराध) थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
3. व0उ0नि0 सुधीर त्रिपाठी थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
4. उ0नि0 आशीष कुमार मिश्रा चौ0प्र0 दुर्गाकुण्ड थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 मानवेन्द्र थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
6. का0 कुन्दन थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
7. का0 विनोद थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी
8. का0 सौरभ यादव थाना भेलूपुर कमिश्नरेट वाराणसी

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त,
जोन काशी कमिश्नरेट
वाराणसी।